बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
TINVAT No-10011255025 CIN-U40102BR2012SGCo18495
Website:-www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

पत्र संख्या–HV/PR-1001/2013(P-I) 45 /पटना, दिनांक 11-06- /2018

प्रेषक,

राजीव रंजन सिन्हा,
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०),
सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा),
सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता,
परियोजन प्रबंधक, तकनीकी सेवा,
सभी उप महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०),
सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी अवर सचिव,
सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड, पटना
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड, पटना
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।

विषय :– **अंतिम रूप से सातवां वेतन पुनरीक्षण के पश्चात पूर्व में औपबंधिक वेतन पुनरीक्षण में अधिक प्राप्त किये गये वेतन की कटौति पर रोक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–690 दिनांक–01.06.2017 के द्वारा विद्युत कर्मियों को औपबंधिक रूप से सातवां वेतन पुनरीक्षण में वेतन निर्धारित किया गया था। पुनः संकल्प संख्या–62 दिनांक–28.12.2017 द्वारा अंतिम रूप से सातवां वेतन पुनरीक्षण का आदेश निर्गत होने के पश्चात सभी कर्मियों का दिनांक–01.01.2016 से वेतन निर्धारित किया गया है। सातवां वेतन पुनरीक्षण में कर्मियों के वेतन निर्धारण के पश्चात ऐसे कई मामले दृष्टिगत हुए हैं जिसमें कर्मियों का अंतिम रूप से पुनरीक्षित वेतन औपबंधिक रूप से पूर्व में निर्धारित वेतन से कम हो गया है। फलस्वरूप उन कर्मियों के द्वारा पूर्व में अधिक प्राप्त किये गये वेतन की कटौति उनके वर्त्तमान के मासिक वेतन से किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या–62 दिनांक–28.12.2017 द्वारा सातवां वेतन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत होने के पश्चात कई यूनियनों / संगठनों एवं कर्मियों से वेतन विसंगति से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके निष्पादन हेतु वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन कर दिया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने में समय लगेगा। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि वैसे कर्मियों जिनके द्वारा अंतिम रूप से सातवां वेतन पुनरीक्षण के पश्चात पूर्व में औपबंधिक वेतन पुनरीक्षण में अधिक प्राप्त किये गये वेतन की कटौति पर वेतन विसंगति निवारण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन तथा उस पर अंतिम निर्णय होने तक रोक रहेगी।

अतः इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वैसे कर्मियों जिनके द्वारा अंतिम रूप से सातवां वेतन पुनरीक्षण के पश्चात पूर्व में औपबंधिक वेतन पुनरीक्षण में प्राप्त किये गये अधिक वेतन से कटौति पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा भविष्य में समर्पित किये जाने वाले प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है।

विश्वासभाजन
11/6/18
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक(मा०सं० / प्रशा०)